राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/ 65394-704 जयपुर, दिनांक 29.9.09

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
.....।

विषय :– आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) उपलब्ध कराये जाने की योजना के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– समसंख्यक विभागीय आदेश कमांक 10513–45 दिनांक 19.02.08

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) उपलब्ध कराये जाने की योजना के दो चरण प्रारम्भ किये जा चुके हैं। विभागीय आदेश कमांक 10513–45 दिनांक 19.02.08 के बिन्दु संख्या–2 में बाल विकास परियोजना अधिकारियों को स्वयं सहायता समूहों का चयन निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था :–

(i) ऐसे स्वयं सहायता समूह जो कम से कम एक वर्ष से सफलतापूर्वक कार्यरत हो।
(ii) जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो एवं समूहों द्वारा किसी राष्ट्रीय अथवा अनुसूचित बैंक में बचत/चालू खाता संचालित किया जा रहा हो।
(iii) जो महिला अधिकारिता विभाग में रजिस्टर्ड हो अथवा रजिस्ट्रेशन के योग्य हो।
(iv) जो समूह के सदस्यों की आयवृद्धि के कार्यो में सलंग्न हो तथा जिनकी कार्य प्रणाली तथा योग्यता अच्छी है अर्थात औसत से अधिक योग्यता रखते हो।
(v) जिसके सदस्यों मे प्रथम दृष्टया एकजुटता हो।
(vi) जो स्थानीय स्तर पर विभागीय निर्देशों तथा गुणवत्ता के अनुसार पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) तैयार कर सप्लाई करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ अनुबंध निष्पादित करने को तैयार हो।
(vii) समूह का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि समूह के अधिकांश सदस्य घर पर कार्य करते हो तथा प्रायः मजदूरी/कृषि कार्यो के लिए बाहर नहीं जाते हो। क्योंकि ऐसे समूह के चयन से पोषाहार आपूर्ति का कार्य बाधित हो सकता है।

(viii) प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र के लिए एक स्वयं सहायता समूह का चयन किया जायेगा तथा समूह के सदस्यों को विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना कर उक्त समूह द्वारा तैयार पूरक पोषाहार सम्बन्धित केन्द्रों पर प्राप्त किया जायेगा। जिस किसी आंगनबाडी केन्द्र के लिए सक्षम स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं हो, उस केन्द्र पर पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) की प्राप्ति निकटतम केन्द्र से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह से की जा सकेगी। लेकिन आदर्श स्थिति एक आंगनबाडी केन्द्र के लिए एक स्वयं सहायता समूह का होना ही होगा।

(ix) पोषाहार की गुणवत्ता व मात्रा पर निगरानी मुख्यतः आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है, अतः ऐसे समूह का चयन नहीं करें जिसमें आंगनबाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी/सहायिका, समूह की पदाधिकारी अथवा सक्रिय सदस्य हो।

न्यूट्रीशन मिशन फेज–प्रथम एवं द्वितीय के बाल विकास परियोजना अधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक दिनांक 08.07.09 एवं 09.07.09 में बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार बेबी मिक्स उपलब्ध करवाने में आ रही बाधाओं से अवगत करवाया गया था। बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार बेबी मिक्स उपलब्ध करवाने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं कि :–

1 नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिवस काम उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष के शेष दिनों में समूह की महिला सदस्य के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पोषाहार बनाया जा सकता है। समूह की अन्य महिलाओं को भी पोषाहार तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जावे ताकि आवश्यकता होने पर अन्य महिला सदस्यों से पोषाहार तैयार कराया जा सके। अर्थात नरेगा में रोजगार प्राप्त करने वाली सदस्य के स्थान पर समूह की अन्य सदस्य का सक्रिय सहयोग लिया जावे।

2 यह ध्यान में लाया गया है कि स्थानीय स्तर पर सोयाबीन उपलब्ध नहीं होता है। इस सम्बन्ध में 8–10 स्वयं सहायता समूहों का एक कलस्टर समूह बनाया जा सकता है। उक्त कलस्टर समूह सोयाबीन सहित अन्य कच्ची खाद्य सामग्री थोक में क्रय कर सदस्य समूह को उपलब्ध करावें अथवा कलस्टर स्तर पर पोषाहार का निर्माण करें। विकल्प के तौर पर स्वयं सहायता समूह सीजन पर कच्ची खाद्य सामग्री क्रय कर स्टॉक कर सकते हैं।

3 स्वयं सहायता समूहों को भुगतान एक माह में अनिवार्य रूप से करने हेतु परिपत्र दिनांक 19.02.08 में स्पष्ट उल्लेखित हैं। समय पर भुगतान नहीं करने हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी का उत्तरदायित्व तय किया जायेगा।

4 कोष कार्यालय में एफ.वी.सी. बिल नियमानुसार तैयार कर समय पर प्रस्तुत किये जावें। ताकि किसी प्रकार का आक्षेप ना हो।

5 यह ध्यान में लाया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के पास स्वयं का फण्ड उपलब्ध नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि सक्षम स्वयं सहायता समूहों के चयन हेतु पूर्व में ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं। परियोजना अधिकारी स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने हेतु स्वयं के स्तर से प्रयास करेंगे।

6 विकास अधिकारी को प्रति–हस्ताक्षर हेतु एफ.वी.सी. बिल समय पर प्रस्तुत करें तथा फिर भी विलम्ब हो तो योजना से सम्बन्धित परिपत्रों/निर्देशों की प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जावे।

7 यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन के स्वाद को पसन्द नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में आमजन को समझावें कि सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्त्रोत है व इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। इसके प्रचार–प्रसार के द्वारा सोयाबीन के तत्वों की जानकारी आमजन में दी जावे।

8 यह भी ध्यान में लाया गया है कि पोषाहार तैयार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बर्तन व उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। यहां स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम स्वयं सहायता समूहों के चयन के निर्देश दिये गये हैं। समूह किराये का स्थान लेकर यह कार्य कर सकता है। बर्तनों की व्यवस्था समूह बैंक से ऋण इत्यादि लेकर कर सकता है।

9 यदि एक स्वयं सहायता समूह पोषाहार आपूर्ति के लिए मना कर देता है तो यह कार्य अन्य सक्षम स्वयं सहायता समूह से करवाया जावे।

10 यदि एक समूह बेबी मिक्स नहीं देना चाहता है एवं दूसरा समूह एक से अधिक आं.बा. केन्द्रों पर बेबी मिक्स आपूर्ति करना चाहता है तो ऐसे समूह से नजदीक क्षेत्र में स्थित आं.बा.केन्द्रों पर आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। ऐसे समूह से अधिकतम 5 आं.बा.केन्द्रों पर पोषाहार की आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। यदि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के संचालन में ऐसा करना आवश्यक हो तो सम्बन्धित जिले के उप निदेशक इस बाबत् स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर आवश्यक सहमति दे सकेंगे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/65705-720 जयपुर, दिनांक 29.9.09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि विभागीय बेबसाईट पर लोड करें।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।